सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5150 / 1024 / 2015 दिनांकः– 20.09.2016

के मामले में

श्रीमती रीता कुमारी, D346
क्वार्टर सं.10, स्टाफ क्वार्टर,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
2 वायु सेना स्थल,
हिण्डन, गाजयाबाद,
उत्तर प्रदेश ..... शिकायतकर्ता

बनाम

प्राचार्य, D347
केन्द्रीय विद्यालय
झज्जर, हरियाणा
<kvjhajjar@yahoo.co.in> ..... प्रतिवादी सं. 1

सहायक आयुक्त (वित्त) D348
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110016 ..... प्रतिवादी सं. 2

उपायुक्त, D349
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
संभागीय कार्यालय,
के.वि.नं.1, ए.एफ.एस. कैम्पस,
सैक्टर–14, गुड़गांव–122001
ईमेल dckvsrogurgaon@gmail.com .... प्रतिवादी सं. 3

सुनवाई की तारीखः 14.9.2016

उपस्थितः

1. श्री जंग बहादुर, शिकायतकर्ता के पति ।
2. सुश्री सुशीला पाण्डे, स्थानापन्न प्राचार्य, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से ।
3. सुश्री रश्मि गुप्ता, प्राचार्य, के.वी.ए.एफ.एस., गुड़गांव, प्रतिवादी सं. 3 की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्रीमती रीता कुमारी ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके पति श्री जंग बहादुर 50% अस्थिबाधित व्यक्ति के

.....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

काटे गए आयकर को उनके खाते में जमा नहीं करने से संबंधित शिकायत दिनांक 04.09.2015 इस न्यायालय में दायर की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पति वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय सं. 2 वायु सेना स्थल हिण्डन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पीजीटी गणित के पद पर कार्यरत हैं । उनके अनुसार 01.08.2007 से 03.02.2010 तक जब उनके पति केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर, हरियाणा में कार्यरत थे तब उनकी सैलरी से इन्कम टैक्स 11324/– रूपए काटा गया था परन्तु उनके पैन एकाउन्ट में जमा नहीं किया गया था । उस समय उक्त विद्यालय के प्राचार्य श्री जहान सिंह थे जोकि वर्तमान में केन्दीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं । वर्ष 2014–15 में जब उनके पति ने एक एकाउन्टेंट से ई–फाइल करवाया तो उसने उनके पति को बताया कि वर्ष 2010–11 का इन्कम टैक्स जोकि 12620/– रूपए बकाया है । उनके पति ने इस संदर्भ में प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर को कई पत्र भेजे परन्तु न तो कोई कार्यवाही ही की गई और न ही इन्कम टैक्स उनके खाते में जमा कराया गया ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 28.09.2015 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 28.12.2015 द्वारा सूचित किया कि श्री जंग बहादुर 01.08.2007 से 03.02.2009 तक केन्दीय विद्यालय, झज्जर में कार्यरत थे । उनका वेतन उचित इन्कम टैक्स काट कर दिया जाता था तथा इन्कम टैक्स उचित समय पर जमा करवाया जाता था । इस संदर्भ में उनके दस्तावेज़ से 2009–10 में 11324/– रूपए काटा गया था जिसकी जानकारी फार्म–16 में दी गई है । जंग बहादुर निःशक्त व्यक्ति के वर्ग में आते हैं । इसी कारण केन्द्रीय विद्यालय प्रशासन ने जंग बहादुर के 2–1/2 वर्ष के कार्यकाल में हर संभव मदद की है । उनकी धर्मपत्नी रीता कुमार द्वारा लगाए गए आरोप 'कि कई पत्र भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है', सरासर झूठ है । उनके कार्यालय के 6 वर्ष के दस्तावेज से पाया गया है कि उनके पास कोई पत्र नहीं आया है और न ही इस विषय में उन्हें सूचना दी गई है । उनके कार्यालय ने अपने सारे दस्तावेज जांच लिए हैं, जिसके अनुसार अब तक का पूरा इन्कम टैक्स उपयुक्त रूपसे जमा है । यदि इन्कम टैक्स में कोई कमी पाई जाती है तो आयकर विभाग स्वतः 3 महीनेके अंदर नोटिस जारी कर देता है और न ही जंग बहादुर के वक्त के दौरान की इन्कम टैक्स कटौती संबंधी कोई नोटिस उनके पास नहीं है । इसका अभिप्रायः यह है कि

....3/–

उनके दस्तावेज में कोई कमी नहीं है । हो सकता है जंग बहादुर के आयकर रिकार्ड में हो । अतः इस न्यायालय से प्रार्थना है कि रीता कुमार के द्वारा की गई झूठी शिकायत रद्द कर दी जाए एवं इस विषय के संदर्भ में जंग बहादुर स्वतः जांच करे एवं अपना रिकार्ड देखें ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2016 द्वारा निवेदन किया कि केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर के डी.डी.ओ. प्राचार्य द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सत्र 2009–10 में 11,324/– रूपए टैक्स काटा गया था परन्तु उनके पति के पैन अकाउंट के फार्म 26एएस में 12फरवरी, 2016 तक जमा राशि शून्य है । वर्तमान समय में उनके पति के पैन अकाउन्ट में आयकर विभाग द्वारा सत्र 2010का इन्कम टैक्स 12620/– रूपए जमा करने का बार–बार आयकर विभाग का नोटिस आ रहा है । डी.डी.ओ., प्राचार्य, झज्जर द्वारा मेरे पति के वेतन से इन्कम टैक्स काटा गया था तो उन्हें उनके पति के पैन अकाउन्ट फार्म 26एएस में जमा कराने की जिम्मेदारी डी.डी.ओ. की है न कि उनके पति की । डी.डी.ओ., झज्जर द्वारा उनके पति के टैक्स अमाउन्ट को पैन अकाउन्ट फार्म 26 एएस में जमा न कराने की बजाय विभिन्न आरोप लगाकर केस को खत्म कराना चाह रहे है । अतः विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए उनके पति के पैन अकाउन्ट के फार्म 26एएस में वर्ष 2010 का पूरा टैक्स जमा करवाया जाए ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 22.07.2016 द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया है कि आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ने उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुड़गांव संभाग को लिखा तथा उन्होंने तदनुसार प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, झज्जर को आयकर 26एएस में जमा कराने के लिए लिखा । परन्तु प्राचार्य, केन्दीय विद्यालय, झज्जर ने अपने आपको बचाने के लिए सीएं को पत्र लिखा है जबकि पूरी जिम्मेदारी डीडीओ की होती है । उन्होंने आग्रह किया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए ।

7. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 28.12.2015 एवं वादी के पत्र दिनांक 12.02.2016 एवं 22. 07.2016 के मद्देनज़र सुनवाई 14.09.2016 को निर्धारित की गई ।

8. दिनांक 14.09.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनो को दोहराया और निवेदन किया कि उन्होंने इस महीने की 9 तारीख को अपनी ई–फाइल में देखा तो पता चला कि उनकी टैक्स डिमान्ड 12,620/रूपए की हो गई है और फार्म

.....4/'

26एएस में एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है । यह मामला निर्धारण वर्ष 2010–11 का है । इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । मेरे वेतन बिल से इन्कम टैक्स की राशि की कटौती कर ली गई थी परन्तु डी.डी.ओ. प्राचार्य द्वारा मेरे सही पैन अकाउन्ट में इन्कम टैक्स की राशि जमा नहीं कराई गई । आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ न्याय किया जाए ।

9. प्रतिवादी के प्रतिनिधि सुश्री रश्मि गुप्ता, प्राचार्य, के.वी.ए.एफएस., गुड़गांव ने निवेदन किया कि यह मामला उनसे पहले प्राचार्य, श्री जहान सिंह के समय का है । उनके बाद जब शिकायतकर्ता का पत्र आया तो उन्होंने रिकार्ड का सर्वे कराया और सी. ए. से बातचीत की । सी.ए. ने उनके डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कहा । इसके पश्चात् उनका स्थानान्तरण हो गया । उसके पश्चात् सुश्री सुशीला पांडे, स्थानापन्न प्राचार्य ने इस मामले की जांच कराई तो पता चला कि शिकायतकर्ता के पति का पैन नम्बर गलत चला गया है । अब नए प्राचार्य इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

10. दोनों पक्षकारो को सुनने और फाइल पर रखे गए अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देता है कि वे शिकायतकर्ता के पति श्री जंग बहादुर के वेतन से काटे गए आयकर को उनके सही पैन खाते में जमा करने हेतु रिवाइज्ड रिटर्न फाइल फाइल करने की आवश्यक कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता के पति को तुरन्त राहत प्रदान करें क्योंकि उन पर अनावश्यक रूप से ब्याज का दंड थोपा जा रहा है, जिसके लिए उनका कोई कसूर नहीं है । इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करके मामले की अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 45 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें ।

11. उपरोक्त निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन